

पत्रांक : 09 / बिहारी प्रसाद सिंह - 09 / 2015 २३४
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन'
 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
 सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA)

पटना, दिनांक २६/५/२०१८

विषय :

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिये जाने की कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत् निर्धारित की जाती है :—

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	05 मई, 2018 तक
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	12 मई, 2018 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	18 मई, 2018 तक
4	प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	21 मई, 2018 को NIT के विभिन्न अलंकार
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	22 मई, 2018 से 04 जून, 2018 तक
6	मेधा सूची का प्रकाशन।	09 जून, 2018 को
7	मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	10 जून, 2018 से 13 जून, 2018 तक
8	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा उपलब्ध कराना।	15 जून, 2018 तक

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।संकल्प

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :-

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
कुल:-		4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहीकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार-प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/-प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/-प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या-21 के अन्तर्गत विपत्र कोड-2202021090001 के विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

५०/-
(रॉबर्ट एल० चॉर्थ)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09 / बिनियोपस०-09 / 2015

पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09 / बिनियोपस०-09 / 2015

पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

₹0/-

सचिव,

शिक्षा विभाग।

ज्ञापाक : 09 / बिनियोपस०-09 / 2015 5.1.....

पटना, दिनांक .25-01-2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25-01-18
सचिव,

शिक्षा विभाग।

W/—

पत्रांक : 09 / बिहारीप्रसाद 09/2015 264
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सेवा में,

विषय :

प्रसंगः

महाशय,

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन'
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने के संबंध में।

विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 एवं विभागीय ज्ञापांक 09 / बिहारीप्रसाद 09/2015-247 दिनांक 07.05.2018

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय संकल्प एवं ज्ञापांक का निदेश करें। संकल्प के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने का प्रावधान तथा विभागीय ज्ञापांक 09 / बिहारीप्रसाद 09/2015-247 दिनांक 07.05.2018 द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण संसूचित किया गया है।

निदेशानुसार निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक संकल्प द्वारा किये गये प्रावधान एवं प्रासंगिक विभागीय ज्ञापांक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आलोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु मेधा सूची/पैनल का निर्माण निम्नवत् किया जाय :-

- (i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर-II) उत्तीर्ण हों, उन्हें मेधा सूची/पैनल में प्रथम वरीयता दी जाय।
- (ii) संकल्प में निर्दिष्ट विषय के +2 स्तरीय सेवा निवृत शिक्षकों जिनकी आयु 65 वर्ष तक हो को द्वितीय वरीयता दी जाय।
- (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को तृतीय वरीयता दी जाय।
- (iv) एम.टेक/बी.टेक योग्यताधारी बी.एड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए उपरोक्त तीनों श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में मेधा सूची/पैनल में शामिल किया जाय।

परन्तु संकल्प में किये गये प्रावधान के आलोक में गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में ही संबंधित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त एवं स्वीकृत पद की सूचना देते हुए एम.टेक अथवा बी.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सेवा विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करें।

विश्वासमाजन

18/5/2018

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09 / बिहारीप्रसाद 09/2015 264

पटना, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्राप्ति।

18/5/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

~~May
18/5/18
2018 पा. ०~~

दिनांक—27.04.2018 को माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध लिये जाने एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के साथ हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :— संलग्न विवरणी अनुसार।

सर्वप्रथम निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के द्वारा उपस्थित राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) का स्वागत करते हुए उनके उपस्थिति के संदर्भ में सूचना प्राप्त किया गया।

बैठक में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध लिये जाने से संबंधित संकल्प में किये गये प्रावधानों एवं अन्य संगत विषयों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। विमर्श के दौरान अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रिक्ति की गणना, रोस्टर बिन्दु विलयर कराना, मेधा सूची का निर्माण करना, एवं चयन सूची का निर्माण करना आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के द्वारा विभागीय पत्रांक—234 दिनांक—26.04.2018 का संदर्भ लेते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा माध्यमिक विद्यालय में लिए जाने पर पृच्छा किया गया। इस पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में निर्गत विभागीय संकल्प में यह अंकित है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी एवं शिक्षकों के नियोजन में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 संकाय) में हीं अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है। इस प्रकार उक्त पत्र में अंकित माध्यमिक विद्यालय को विलोपित मानते हुए आगे की कार्रवाई करने का निदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।

4. बैठक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण को उपलब्ध कराए गए फोल्डर में संधारित “अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र” के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से यह अनुरोध किया गया कि “अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र” को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इस संबंध में मुख्यालय स्तर से एक विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाए, ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र सुगमता से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

5. अतिथि शिक्षकों की सेवा लिए जाने के संदर्भ में विभिन्न पृच्छाएँ की गयीं जिससे संबंधित स्पष्टीकरण निम्नवत् संसूचित किया गया :—

(i) आयु सीमा :— सेवा लिए जाने वाले वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस को आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष।

(ii) +2 का विषय, जिसपर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा सकती है :— अंग्रेजी, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान।

(iii) रिक्ति की गणना :— संबंधित जिलों को +2 शिक्षकों के नियोजन हेतु विभाग द्वारा आवंटित पद अन्तर्गत (उल्कमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित) उपलब्ध विषयवार रिक्ति के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा सकती है। आरक्षण कोटिवार उपलब्ध विषयवार

रिक्ति को संबंधित जिला के एन.आई.सी. के वेबसाईट पर दिनांक-21 मई 2018 तक प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

(iv) आरक्षण :- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति से संबंधित आदर्श रोस्टर बिन्दु के आधार पर विषयवार रोस्टर पंजी का संधारण किया जायेगा, जो बिन्दु 1 से प्रारंभ होगा। जिले में विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति का विषयवार सामुहीकरण कर रिक्त पदों की गणना की जायेगी और तदनुसार विषयवार रोस्टर तैयार किया जायेगा। रोस्टर पंजी का निर्माण एवं संधारण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा किया जायेगा। रोस्टर पंजी का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(v) मेघा सूची/पैनल का निर्माण :- इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा। पैनल विषयवार तैयार किया जायेगा। पैनल में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर-II) उत्तीर्ण होंगे, उन्हें रखा जायेगा। इसके बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, तदोपरांत स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी को रखा जायेगा। इन सबों के बाद एम.टेक योग्यताधारी और उनके बाद बी.टेक अभ्यर्थी को रखा जा सकेगा।

समान योग्यताधारी अभ्यर्थी का मेघा अंक के आधार पर पैनल में स्थान निर्धारित किया जा सकेगा। मेघा अंक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

- (a) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो एस.टी.ई.टी. (पेपर-II) उत्तीर्ण होंगे :- स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत + प्रशिक्षण अर्हता के अंक का प्रतिशत + एस.टी.ई.टी (पेपर-II) के अंक का प्रतिशत / 03
- (b) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थी :- स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत + प्रशिक्षण अर्हता के अंक का प्रतिशत / 02
- (c) स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी :- स्नातकोत्तर के अंक का प्रतिशत।
- (d) एम.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थी :- एम.टेक के अंक का प्रतिशत।
- (e) बी.टेक योग्यताधारी अभ्यर्थी :- बी.टेक के अंक का प्रतिशत।

6. जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मेघा सूची एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप चयन सूची तैयार की जायेगा और संबंधित चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर विद्यालय चिन्हित करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जायेगी।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारीगण द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा लिए जाने से संबंधित पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बैठक में हीं विमर्श के आधार पर प्रारूप पर सहमति बनी जो निम्नवत् है :-

विद्यालय का नाम
“आमंत्रण पत्र”

हर्ष के साथ विद्यालय परिवार आपको विषय में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य करने हेतु आमंत्रित करता है। आपके सेवा से संबंधित शर्त एवं परिलक्षियाँ विभागीय संकल्प संख्या-9/बि.बि.प.स.-09/2015-51 दिनांक-25.01.2018 के अधीन होगा।

कृपया उक्त पर सहमति व्यक्त करते हुए अपना योगदान अगले 07 दिनों के अन्दर देना सुनिश्चित करेंगे।

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

8. अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित समय तालिका का अनुपालन करते हुए ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक से वर्ग संचालन प्रारंभ कराने का स्पष्ट निदेश दिया गया।
9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नियोजित शिक्षकों के बैतन भुगतान से संबंधित मांग पत्र जो लगभग 15 जिलों से प्राप्त हो चुका है, की सूचना देते हुए शेष जिलों से निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र अगले तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
10. माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाना है। इस हेतु मध्य विद्यालय के लिए निर्धारित भूमि संबंधित मापदण्ड में संशोधन करते हुए 75 डिसिमल भूमि की अनिवार्यता की गयी है। इस पृष्ठभूमि में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु मध्य विद्यालय को चिह्नित कर, उसे जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन कराकर निदेशालय को अगले एक माह में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
11. सी०एफ०एम०एस० को प्रभावी तरीके से लागू करने पर चर्चा की गई, इस हेतु जिला स्तरीय कार्यालय में एक कम्प्यूटर सेल की स्थापना, कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्बवाई करने का निदेश दिया गया।
12. प्रयोगशाला उपकरण एवं उपस्कर क्रय हेतु गत वित्तीय वर्ष में राशि विसुक्त की गयी थी। बैठक में यह सूचना दी गयी कि प्रयोगशाला उपकरण से संबंधित सांकेतिक सूची अगले एक सप्ताह में जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त सूचना के साथ यह निदेश दिया गया कि प्रयोगशाला उपकरण एवं उपस्कर का क्रय ग्रीष्मावकाश समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाए, ताकि ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

०५/०५/२०१८
(राजीव प्रसाद सिंह रंजन)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक:—०५/०५/२०१८

ज्ञापांक:—९ / बि०वि०प०स०-०९ / २०१५ २५८

प्रतिलिपि:—सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।

०५/०५/२०१८
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक:—०५/०५/२०१८

ज्ञापांक:—९ / बि०वि०प०स०-०९ / २०१५ २५८

प्रतिलिपि:—सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/सहायक निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को सूचनार्थ प्रेषित।

०५/०५/२०१८
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक:—०५/०५/२०१८

ज्ञापांक:—९ / बि०वि०प०स०-०९ / २०१५ २५८

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव एवं सचिव शिक्षा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

०५/०५/२०१८
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।